न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 64/17

अनवान :

1. नरेश पुत्र हरदेवा ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. गोविन्द पुत्र हरदेवा ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. कमला पुत्री महावीर ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. सिलोचना पुत्री महावीर ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
5. अंगुरी पुत्री महावीर ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
6. दर्शना पुत्री महावीर ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
7. पूजादेवी पुत्री महावीर ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
8. मंगल पुत्र महावीर ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
9. सुमन पुत्री महावीर ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
10. फुलवती पत्नी कृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
11. मनोज पुत्र कृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
12. सुरेश पुत्र कृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
13. दीपक पुत्र कृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र मामराज जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत शर्म 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशंस सपठित धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत स्वीकृत करने रास्ता।

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा **: प्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक :** 9.1.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की रोही मौजा भिरानी के मु0नं0 175 के किला नं0 11 की 0.253 है0 किला नं0 12 की 0.126 है0 किला नं0 19 की 0.215 है0 किला नं0 20 व 21 की 0.506 है0 किला नं0 22 की 0.288 है0 मु0नं0 176 के किला नं0 15/3 की 0.056 है0 किला नं0 16/1 की 0.126 है0 किला नं0 25/1 की 0.127 है0 मु0नं0 355 के किला नं0 7, 14, 17 की 0.759 है0 कुल 2.396 है0 बारानी खातेदारी प्रार्थीगण की मुश्तर्का खातेदारी है।

प्रार्थीगण की खातेदारी के चिपते ही अप्रार्थी रामप्रताप की मु0नं0 175 के किला नं0 11 की 0.253 है0, किला नं0 2 की 0.202 है0 किला नं0 9 की 0.89 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 मु0नं0 176 के किला नं0 4 ता 8 की 1.265 है0 किला नं0 13/1 की 0.126 है0 किला नं0 14/1 की 0.126 है0 किला नं0 15/1 की 0.127 है0 कुल किता 12 की 2.441 है0 खातेदारी दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की खातेदारी पहले मुश्तर्का खातेदारी हुआ करती थी जिसका हाल ही में खाता तकशीम हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन के लिये अप्रार्थी के मु0नं0 176 के किला नं0 13/1 के पश्चिमी तरफ व दक्षिणी तरफ किला नं0 14/1 के दक्षिणी तरफ व किला नं0 15/1 के दक्षिणी तरफ से होते हुये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी मु0नं0 175 के किला नं0 11 में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के चलते प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी रामप्रताप ने सहमति पत्र/राजीनामा पेश कर जाहिर किया कि यदि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी रोही भिरानी के मु0नं0 175 के किला नं0 11 की 0.045 है0 भूमि उक्त रास्ता के बदले मे दे देते है तो मिकर अप्रार्थी की खातेदारी रोही भिरानी के मु0नं0 176 के किला नं0 13/1, 14/1 व 15/1 में से एक एक गट्ठा चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक सहमति पत्र/राजीनामा के प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने भिरानी की अपनी कृषि भूमि में से आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी रामप्रताप ने सहमति पत्र/राजीनामा प्रस्तुत कर जाहिर किया कि यदि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी रोही भिरानी के मु0नं0 175 के किला नं0 11 की 0.045 है0 भूमि रास्ता के बदले मे दे देते है तो मिकर अप्रार्थी की खातेदारी रोही भिरानी के मु0नं0 176 के किला नं0 13/1, 14/1 व 15/1 में से एक एक गट्ठा चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे। इस प्रकार प्रार्थीगण के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रार्थीगण भी अप्रार्थी की उक्त बात से सहमत है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशंस एक्ट सपठित धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी की खातेदारी रोही भिरानी के मु0नं0 176 के किला नं0 13/1 के पश्चिमी तरफ व दक्षिणी तरफ, किला नं0 14/1 के दक्षिण तरफ व 15/1 के दक्षिणी तरफ से एक एक गट्ठा चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में गई भूमि के एवज में प्रार्थीगण की खातेदारी रोही भिरानी के मु0नं0 175 के किला नं0 11 की 0.045 है0 भूमि प्रार्थीगण के खाते से कम की जाकर अप्रार्थी रामप्रताप के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़